न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 25/2019

प्रार्थी–
गजेन्द्र सिंह पुत्र दुर्गसिंह के कायम मुकाम लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी गुडामालानी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. ग्राम पंचायत गुडामालानी जरिये सरपंच
2. रणवीरसिंह पुत्र दुर्गसिंह के कायम मुकाम कुलदीपसिंह
3. स्वरूपसिंह पुत्र दुर्गसिंह के कायम मुकाम
   3.1 नरेन्द्रसिंह पुत्र स्वरूपसिंह
   3.2 हेमेन्द्रसिंह पुत्र स्वरूपसिंह
   जाति राजपूत निवासी गुडामालानी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 438 दिनांक 16.06.2008 जो विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री पवन गिरी सोडियार, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।
3. श्री मुकेश जैन, अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
4. श्री सुनील के. मेराजा, अप्रार्थी सं. 3 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 23.04.2025.

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत गुडामालानी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नि[illegible] के तहत ग्राम गुडामालानी मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का [illegible] विलेख स. 438 दिनांक 16.06.2008 जारी किया गया। ग्राम पंचायत गुडामालानी द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:42:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

प्रावधानों की पालना नही किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि निगरानीकर्ता ग्राम पंचायत गुडामालानी का मूल निवासी है तथा निगरानीकर्ता के पिता गजेन्द्रसिंह व उनके भाई रणवीरसिंह, स्वरूपसिंह का एक पैतृक भूखण्ड जो निगरानीकर्ता व विप्रार्थी संख्या 02 एवं 03 के पूर्वज दुर्गसिंह जो वहां के जागीरदार थे, उनकी जागीरीकाल में आया हुआ है, जो भूखण्ड ग्राम गुडामालानी की आबादी भूमि के खसरा नंबर 1717 में है जिस भूखण्ड का नाप डामर सड़क पर चौडाई में 300 फीट एवं लंबाई में 150 फीट है। निगरानीकर्ता के पिता व विप्रार्थी संख्या 02 एवं 03 के पूर्वज के मध्य आज से कई वर्ष पूर्व मौखिक बंटवाडे में प्रत्येक को 100X150 फीट पर कब्जा करवाया गया। इस मौखिक बंटवाडे के बाद विप्रार्थी संख्या 02 के पिता द्वारा अपने हिस्से में 81X150 फीट भूमि युग निर्माण योजना गायत्री मंदिर मथुरा को भेंट की गई तथा शेष भूमि 19X150 पर विप्रार्थी संख्या 02 के पिता का कब्जा रहा। लेकिन बाद में विप्रार्थी संख्या 02 एवं 03 द्वारा ग्राम पंचायत गुडामालानी से षडयंत्र पूर्वक अपने–अपने नाम से 70 X 150 व 70 X 150 फीट भूमि के पट्टे जारी करवा दिए। विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा निगरानीकर्ता के कब्जा सूदा भूमि पर दखलअंदाजी करने के विरूद्ध विरोध किया गया तब विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा एक [illegible] वाद श्रीमान सिविल न्यायाधीश महोदय, गुडामालानी में प्रस्तुत किया गया जिसके नोटिस मिलने पर प्रार्थी को सर्वप्रथम निगरानी अधीन पट्टों के बारे में पता चला जिन पट्टों के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी पेश कर निवेदन किया गया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:42:01 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

उक्त पट्टा विधि विरूद्ध जारी किया गया, जो कि विप्रार्थी संख्या 02 एवं 03 द्वारा प्रार्थी के कब्जे की भूमि को हड़पने की नियत से पट्टा जारी करवाया गया। उक्त पट्टे की कार्यवाही में न तो मौका कब्जा देखा गया एवं न ही मौका रिपोर्ट बनाई गई, यदि मौका रिपोर्ट बनाई गई होती तो अवश्य ही काबिज प्रार्थी के किरायेदारान का कब्जा लिखा जाता। मिसल में धारा 157 के तहत पट्टा जारी करने का उल्लेख है परन्तु धारा 157 के किसी भी क्लाज का अंकन नहीं किया गया है, इससे पूर्ण रूप से साबित होता है कि विवादित पट्टा विप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में गलत जारी किया गया है, वह पट्टा तत्कालीन सरपंच ने अपने चचेरे भाई के नाम जारी किया गया है। इस प्रकार यह पट्टा प्रारंभ से शून्य है। इस प्रकार विधि में जारी नियमों की अनदेखी कर पट्टा जारी किया गया जिस पट्टा का विधि एवं कानून में कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार आलोच्य पट्टा निरस्त किए जाने योग्य है। आलोच्य पट्टा बिना तारीख को जारी किया गया, जिसकी जानकारी विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करते समय ही निगरानीकर्ता को हुई है, जिस बाबत् ग्राम पंचायत से दिनांक 13.05.2019 को सूचना के अधिकार के तहत नकल मांगी गई तो दिनांक 01.11.2019 को प्राप्त हुई। ऐसी स्थिति में नकल मिलने की तारीख से यह निगरानी अंदर म्याद पेश की गई है, जिस संबंध में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत पेश किया गया है। अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उक्त पट्टा खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया है।

3. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा यह हस्तगत निगरानी पट्टा संख्या 438 दिनांक 16.06.2008 को निरस्त करवाने के लिए प्रस्तुत की [illegible] बाहर है। इस कारण हस्तगत निगरानी चलने [illegible] निगरानी लगभग 12 वर्ष बाद प्रस्तुत की [illegible] के कारण चलने योग्य नहीं है। इस संबंध में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा निर्णय नजीर RBJ(9) 2001 पेज 193 पेश की गई, जिसमें निर्धारित किया है कि:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:42:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Limitation Act, 1963 - Article 137; Applicability - Article 137 applies to those applications for which no period of limitation has been provide elsewhere - Prescribed period of three years.

इसी प्रकार निर्णय नजीर RRD 1989 पेज 714 में राजस्व मण्डल द्वारा निर्धारित किया है कि:–

(b) Rajasthan Land Revenue Act, Section 84-Application for revision filed after more than 3 years of the order without explaining the inordinate delay-Revision, not maintainable. (Para 8)

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 एवं 03 के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत गुडामालानी से प्राप्त रेकर्ड के अवलोकन से पाया जाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत की आबादी भूमि का अप्रार्थी संख्या 02 के आवेदन पर आवासीय प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन किया गया है। इस हेतु नियमानुसार आवेदन पत्र प्राप्त कर भूखण्ड की मौका निरीक्षण कमेटी से रिपोर्ट प्राप्त की गई है तथा सार्वजनिक आपत्तियों के आमंत्रण उपरांत पंचायत की बैठक दिनांक 05.06.2008 में प्रस्ताव संख्या 2 पारित करते हुए आलौच्य विक्रय विलेख जारी करने का निर्णय लिया गया है। प्रार्थी का कथन है कि विवादित भूमि पर उनका पुराना कब्जा है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत के अभिलेख के अवलोकन से निगरानी अधीन प्रकरणों में प्रार्थी की ओर से इस आशय का कोई उजर–ऐतराज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया जाता है। ऐसे में यदि प्रार्थी को आलौच्य प्रकरण के संबंध में कोई ऐतराज है तो सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रण के समय उजरदारी प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। अप्रार्थी संख्या 02 को आलौच्य पट्टा जारी करने का आवेदन सरपंच ग्राम पंचायत गुडामालानी के समक्ष पेश किया था जिस पर ग्राप पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर ग्राम पंचायत की मीटिंग में ग्राम सेवक एवं वार्ड पंचों की स[illegible] अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी किया है। [illegible] आपत्ति आमंत्रित करने का नोटिस दिनांक [illegible] जिसमें नियमों की किसी प्रकार की अवहेलना नहीं की गई है। चूंकि विधि अनुसार निगरानी की समय सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन विभिन्न न्यायिक निर्णयों

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:42:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

में यह प्रतिपादित किया गया है कि निगरानी उचित समय सीमा (03 वर्ष के भीतर) में ही प्रस्तुत की जानी चाहिए, लेकिन प्रार्थी ने 12 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की है। इस प्रकार अधीनस्थ ग्राम पंचायत के आलौच्य अभिलेख का अवलोकन करने से प्रथमदृष्ट्या किसी प्रकार की अनियमितता प्रकट नहीं होती है, इसके बावजूद भी प्रार्थी यदि इस भूमि में अपना हक–हिस्सा होना मानता है तो सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उक्त पट्टा विलेख के जारी करने में ऐसी कोई विधिक त्रुटि अथवा अनियमितता का उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में आलौच्य पट्टा जारी करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि, प्रक्रियात्मक अनियमितता अथवा अपूर्णता परिलक्षित नहीं हो रही है। अतः उपर्युक्त ऑब्जर्वेशन के मध्यनजर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना–पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किया जाता है।

6. निर्णय आज दिनांक 23.04.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
अति. जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:42:01 IST
Reason: SelfAttested